रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 1975/ज्येष्ठ 13, 1897
No. 146] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 1975/JYAISTHA 13, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 3rd June 1975

G.S.R. 318(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts copper concentrates when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934).

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st March, 1976.

[No. 52/F. No. 355/35/74-Cus.I]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 3 जून, 1975

सा० का० नि० 318(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो

जाने पर कि ऐसा करना लोक हित मे आवश्यक है, ताम्र-चाड को भारत मे आयात किए जाने की दशा मे, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से छूट देती है ।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1976 तक, जिसमें यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी ।

[सं० 52/फा० सं० 355/35/74—सी०शु० 1]

G.S.R. 319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of Section 31 of the Finance Act, 1975 (25 of 1975), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 35-Customs, dated the 12th May, 1975, namely :—

In the Schedule below the said notification, after serial No. 100 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"101 No. 52-Customs dated the 3rd June, 1975".

[No. 53/F. No. 355/35/74-Cus.I]

B. C. RASTOGI, Dy. Secy.

सा० का० नि० 319(अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 1975 (1975 का 25) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 35—सीमाशुल्क तारीख 12 मई, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के नीचे अनुसूची में क्रम संख्या 100 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात—

"101 संख्या 52—सीमाशुल्क, तारीख 3 जून, 1975" ।

[सं० 53/फा सं० 355/35/74—सीमाशुल्क 1]

ब० च० रस्तोगी, उपसचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975